संख्या-9 **/2023/**77-3002(003)/1/2023**/001-500**

प्रेषक,

निधि श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उ**0** प्र**0** शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बाराबंकी/गोरखपुर/जौनपुर/
गाजीपुर/जालौन/बांदा

औद्योगिक विकास अनुभाग-**3** लखनऊ : दिनांक मार्च**, 2023**

विषय:- वित्तीय वर्ष **2022-23** में एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) के समीप औद्योगिक विकास एवं पूंजी निवेश हेतु औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किये जाने हेतु धनराशि की मांग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्रांक **9124/**यूपीडा/**23/27417/**आईएमसी दिनांक **17.03.2023** में किये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष **2022-23** में अनुदान सं**0-07** के लेखाशीर्षक "**5054-**सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय **03-**राज्य राजमार्ग-**337-**सड़क निर्माण कार्य-**13-**एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं के समीप औद्योगिक विकास एवं पूंजी निवेश हेतु औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किये जाने हेतु -**60** भूमि क्रय के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू**0 50000.00** लाख में से परियोजना से आच्छादित जनपदों के जिलाधिकारियों यथा जिलाधिकारी**,** बाराबंकी को रू**0 5000.00** लाख**,** जिलाधिकारी**,** गोरखपुर को रू**0 5000.00** लाख , जिलाधिकारी**,** जौनपुर को रू**0 2500.00** लाख**,** जिलाधिकारी**,** गाजीपुर रू**0 2500.00** लाख**,** जिलाधिकारी**,** जालौन को रू**0 2500.00** लाख एवं जिलाधिकारी**,** बांदा को रू**0 2500.00** लाख अर्थात रू**0 20000.00** लाख (रू**0** दो अरब मात्र) निर्गत कर परियोजना से आच्छादित जनपदों के जिलाधिकारियों के निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करती हैं-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. भूमि क्रय हेतु उक्त धनराशि राजकोष से आहरित करके सम्बन्धित जिलाधिकारी के डिपाजिट खाते में जमा की जायेगी।
2. भूमि क्रय हेतु आवंटित उक्त धनराशि का सम्बन्धित जिलाधिकारी के डिपाजिट खाते से आहरण, तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही की जायेगी।
3. भूमि क्रय हेतु आवंटित धनराशि का आहरण करके यूपीडा के बैंक खाते में अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।
4. आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
5. भूमि क्रय हेतु उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
6. स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07.06.2022, 04.11.2022 एवं 08.11.2022 तथा अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,00,00,00,000 (रुपये दो अरब मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 5054033371300 एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं के समीप पूंजी निवेश हेतु औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किये जाने हेतु मानक मद 60 भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-6-275-X-2022-23- दिनांक:27-3-2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,

Signed by निधि श्रीवास्तव (निधि श्रीवास्तव),
Date: 28-03-2023 18:25:24 विशेष सचिव
Reason: Approved

संख्या-9/**2023/2023/**77-3002(003)/1/2023**/001-500,** तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार **,(** लेखा परीक्षा) प्रथम द्वितीय**,** उत्तर प्रदेश**,** प्रयागराज।

2.महालेखाकार**, (**लेखा एवं हकदारी) प्रथम द्वितीय**,** उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

3.मुख्य कार्यपालक अधिकारी**,** यूपीडा पर्यटन भवन**,** गोमती नगर लखनऊ।

4.मुख्य**,** वरिष्ठ व कोषाधिकारी जनपद-बाराबंकी**,** गोरखपुर**,** जौनपुर**,** गाजीपुर**,** जालौन**,** बांदा।

5.निदेशक**,** वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय**,** जवाहर भवन लखनऊ।

6. वित्त ई-**6/**औद्योगिक विकास अनुभाग-**2**

7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-**1**

8. नोडल बजट एलाटमेन्ट सिस्टम।

9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से**,**

(निधि श्रीवास्तव),
विशेष सचिव